

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

राज्य योजना

सं0सं0-1/योजना छात्रवृत्ति-08/2009-45

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-3-9-12

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना बजट प्रावधान के अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर एवं प्रावैधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रु0 3030.00 लाख (रूपये तीस करोड़ तीस लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या- दिनांक- द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बजट उपबंध एवं योजना उद्ब्यय के उपलब्धता के आलोक में प्रवेशिकोत्तर एवं प्रावैधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रु0 3030.00 लाख (रूपये तीस करोड़ तीस लाख) मात्र व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार उक्त संपूर्ण राशि रु0 3030.00 लाख (रूपये तीस करोड़ तीस लाख) संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2- उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2012-13 के राज्य योजना के मांग संख्या 11 के अंतर्गत आय-व्ययक शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277- शिक्षा-0101 शिक्षा 3401 छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड संख्या-P2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

3- इस आवंटित राशि से राज्य के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में देय प्रवेशिकोत्तर/प्रावैधिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जायेगी। इनकी स्वीकृति के पश्चात अगर राशि अवशेष रहे तो उस राशि से राज्य के बाहर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जा सकती है।

4- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। वे राशि को नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक 31.03.2013 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय। वे संबंधित व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजेंगे।

7- महालेखाकार, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

8- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

[Signature]
(रवि परमार), 3/9/12

सरकार के सचिव।

ज्ञापक-1/योजना छात्रवृत्ति-08/2009-45

पटना-15, दिनांक-3-9-12

प्रतिलिपि- विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Signature]
सरकार के सचिव। 3/9/12

विवरण

वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर एवं प्रावैधिक छात्रवृत्ति मद में आवंटित राशि की विवरणी

(रु० लाख में)

क्र०	जिला का नाम	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	प्रावैधिक छात्रवृत्ति	कुल योग
1	2	3	4	4
1	पटना	350.00	4.00	354.00
2	नालंदा	140.00	1.00	141.00
3	रोहतास	90.00	1.00	91.00
4	भभुआ	60.00	0.40	60.40
5	भोजपुर	80.00	0.50	80.50
6	बक्सर	60.00	0.50	60.50
7	गया	200.00	2.00	202.00
8	जहानाबाद	50.00	0.50	50.50
9	अरवल	30.00	0.50	30.50
10	नवादा	80.00	1.00	81.00
11	औरंगाबाद	80.00	0.50	80.50
12	सारण	100.00	1.00	101.00
13	सिवान	80.00	1.00	81.00
14	गोपालगंज	60.00	1.00	61.00
15	मुजफ्फरपुर	100.00	1.00	101.00
16	सीतामढ़ी	50.00	0.50	50.50
17	शिवहर	20.00		20.00
18	प० चम्पारण	80.00	0.50	80.50
19	पू० चम्पारण	80.00	0.50	80.50
20	वैशाली	80.00	0.50	80.50
21	दरभंगा	90.00	1.00	91.00
22	मधुबनी	80.00	0.50	80.50
23	समस्तीपुर	80.00	0.50	80.50
24	सहरसा	60.00	1.00	61.00
25	सुपौल	40.00	0.50	40.50
26	मधेपुरा	80.00	0.80	80.80
27	पूर्णियाँ	60.00	0.50	60.50
28	अररिया	30.00	0.40	30.40
29	किशनगंज	30.00	0.40	30.40
30	कटिहार	50.00	0.80	50.80
31	भागलपुर	110.00	1.50	111.50
32	बाँका	40.00	0.40	40.40
33	मुँगेर	80.00	0.80	80.80
34	लखीसराय	60.00	0.50	60.50
35	शेखपुरा	60.00	0.50	60.50
36	जमुई	60.00	0.50	60.50
37	खगड़िया	60.00	0.50	60.50
38	बेगूसराय	60.00	1.00	61.00
	कुल योग	3000.00	30.00	3030.00

पत्रांक-45 दिनांक-3-9-12 का अनुलग्नक

सरकार के साधिक

3/9/12